राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 23(2)न्याय/2012 जयपुर, दिनांक 27.5.19

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 क नियमों के अन्तर्गत मुख्य विधि सहायक हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.11.2012 को आयोजित की गई। श्री सुल्तानी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 29.04.2004 को दिनांक 28.04.2004 से निलम्बित किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी पात्रता सूची क्रमांक 14 का चयन वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया, किन्तु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री सुल्तानी की पदोन्नति की अभिशंसा बन्द लिफाफे (सील्ड कवर) में रखी गई।

श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 55/04 एवं प्रकरण संख्या 54/2012 में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है तथा दोनों प्रकरणों में आगे अपील नहीं किये जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है। इस आधार पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(10)न्याय/95 दिनांक 25.10.2018 से श्री सुल्तानी की दिनांक 28.04.2004 से 31.08.2017 की निलम्बन अवधि को नियमित सेवा मानते हुए सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

श्री सुल्तानी के विरूद्ध प्रकरण समाप्त होने पर उनकी सेवा को सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के बन्द लिफाफे को खोला गया तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री सुल्तानी को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर मुख्य विधि सहायक हाल वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री सुल्तानी की वरिष्ठता श्री मनीष कुमार उपाध्याय के नीचे तथा श्री महेन्द्र कुमार के ऊपर रहेगी। श्री सुल्तानी का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वेतनमान **PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800)** में दिनांक 01.04.2011 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण नोशनल आधार पर तथा कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा।

श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह विभाग, जयपुर का पदोन्नति पर वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजकीय वादकरण (विधि प्रकोष्ठ–4), विधि विभाग, सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।

आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव